

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल-462004

क्रमांक-2905/954/बजट/08

भोपाल, दिनांक- 7/11/08

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय
(नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्तीय वर्ष 2008-09 में अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति
हेतु बजट आबंटन

संदर्भ-इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 2797/954/बजट-अनु/शा-7/08
दि. 17.9.2008

उपरोक्त विषय में निम्नलिखित शासकीय महाविद्यालयों को, संदर्भित पत्र के अनुक्रम में
प्रेषित जानकारी के आधार पर उनके नाम समक्ष अंकित राशि वित्तीय वर्ष 2008-09 में अतिथि
विद्वानों के मानदेय भुगतान की प्रतिपूर्ति हेतु बजट आबंटन एतद्वारा स्वीकृत किया जाता है :-

क्र०	डी.डी.ओ. कोड	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	स्वीकृत राशि
1	0923802003	शासकीय गोविन्द स्नातक महाविद्यालय	सेवदा	दतिया	144000
2	1013802005	शासकीय महाविद्यालय	बागली	देवास	82080
3	1003802002	शासकीय कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय	देवास	देवास	494080
4	1003802003	शासकीय कन्या महाविद्यालय	देवास	देवास	36000
5	1013802008	शासकीय महाविद्यालय	हाटपिपल्या	देवास	112800
6	1023802006	शासकीय महाविद्यालय	कन्नौद	देवास	303600
7	1033802007	शासकीय महाविद्यालय	खातेगांव	देवास	72000
8	1043802004	शासकीय महाविद्यालय	सोनकच्छ	देवास	108480
9	1113802003	शासकीय महाविद्यालय	बदनावर	धार	78720
10	1123802008	शासकीय महाविद्यालय	धामनोद	धार	108000
11	1123802007	शासकीय महाविद्यालय	धरमपुरी	धार	73440
12	1143802006	शासकीय महाविद्यालय	कुशी	धार	72000
13	1203802002	शासकीय महाविद्यालय	शाहपुरा	डिंडोरी	144000
14	3913802004	शासकीय महाविद्यालय	करेरा	शिवपुरी	217440
15	3923802003	शासकीय श्रीमंत महाराजा माधवराव सिंधिया महाविद्यालय	कोलारस	शिवपुरी	108000

क्र०	डी.डी.ओ. कोड	शासकीय महाविद्यालय का नाम	स्थान	जिला	स्वीकृत राशि
16	3933802005	शासकीय छत्रासाल महाविद्यालय	पिछोर	शिवपुरी	555040
17	3943802006	शासकीय एल एस गोपाल कृष्ण महाविद्यालय	पोहरी	शिवपुरी	83600
18	3903802001	शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय	शिवपुरी	शिवपुरी	648000
19	3903802002	शासकीय कन्या महाविद्यालय	शिवपुरी	शिवपुरी	240800
20	4353802007	शासकीय कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय	नागदा	उज्जैन	72000
		योग			3754080

(सैंतीस लाख, चौवन हजार, अस्सी) मात्र

उपरोक्त राशि का आहरण एवं व्यय मांग संख्या-44-2202-03-104-7043-9999 (जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु)आयोजनेत्तर मद के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 के बजट से विकलनीय होगा ।

(2) यह सुनिश्चित कर लें कि स्व-वित्तीय योजना अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के लिए की गई नियुक्तियों का भुगतान इसमें शामिल नहीं है ।


(3) अतिथि विद्वानों को मानदेय भुगतान के संबंध में, निर्देश इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक-785/63/आउशि/शा-2/(5)/08 दि० 28.4.2008 की कड़िका 11,12 के अनुसार सुनिश्चित करें ।

(4) संबंधित अतिथि विद्वान को मानदेय राशि के भुगतान एवं आवंटित राशि कोषालय से आहरण पश्चात् जानकारी प्राप्त होने पर ही अतिरिक्त आवंटन की किश्त स्वीकृति पर विचार किया जावेगा ।

(5) आवंटित राशि का उपयोग केवल वित्तीय वर्ष 2008-09 में आमंत्रित अतिथि विद्वानों को भुगतान राशि की प्रतिपूर्ति हेतु करें ।

(6) उक्त आवंटन आयुक्त कोष-लेखा के सेंट्रल सर्वर पर लोड करा दिया गया है । मानदेय राशि भुगतान आदि के संबंध में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए दायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा ।

आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित



संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

पृष्ठा.क्रमांक 2906/954/बजट/08,

भोपाल,दिनांक 7/11/08

प्रतिलिपि :-

1. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश
2. संबंधित कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश । की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


संयुक्त संचालक (वित्त)
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश